फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
लुणेखान पुत्र मोहम्मद जाति मुसलमान, निवासी जसे का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर		मोहम्मद पुत्र माधाखान जाति मुसलमान, निवासी जसे का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (04)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 88,40,91,188) **मुकदमा नम्बर 59/2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.06.2024	प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के अधिवक्ता **श्री देवीलाल कुमावत** ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा **88, 40, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 15.7.24 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) शिव	7023+026 24.6.24
15.7.24	श्रीमान् पीठासीन अधिकारी के मुख्यालय से बाहर होने से इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 5.8.24 को पेश हो।	प्रतिवादी सं. 1 व 2 की अण्डरटेकिंग ली गई। [signature] 15.07.24
5.8.24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण की तामिली व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के वकालतनामा हेतु दिनांक 16.08.24 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) शिव	
16.8.24	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 28.8.24 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:07:25 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.07.25	पत्रावली पेश। पक्षकारान उपस्थित। 07 R 11 के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी को पुश्तैनी भूमि बताकर खातेदारी घोषणा व निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। विवादित आराजी में पक्षकार जाति से मुसलमान होने से मुस्लिम विधि से शासित है। मुस्लिम विधि में पुश्तैनी भूमि के आधार पर खातेदारी घोषित करने का प्रावधान नहीं होने से प्रस्तुत वाद विधि से वर्जित है। साथ ही वाद में TDR को पक्षकार बनाया गया है किन्तु वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 CPC का नोटिस नहीं दिया हुआ होने से वाद पोषणीय नहीं है। अतः मुस्लिम कानून अनुसार जीवित व्यक्ति की सम्पत्ति को पुश्तैनी भूमि के आधार पर घोषणा का प्रावधान नहीं होने से वाद विधि से वर्जित होने तथा चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावें। वादी वकील द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी [illegible] पूर्व पुरुष माधाखान के [illegible] माधाखान के फौत होने [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है, जिसमें वादी का भी हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीगण	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:07:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म [illegible] में जारी हुआ
	द्वारा 07 R 11 का प्रार्थना पत्र मय वाद को खारिज करने की किस्म से पेश किया हुआ होने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। हमनें उपलब्ध अभिलेख की जमा बन्दी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि विवादित आराजी के खातेदार जाति से मुसलमान होने से मुस्लिम विधि से शासित होते है। मुस्लिम विधि मे जब तक कोई व्यक्ति जीवित है तब तक वह अपनी भूमि / सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी होता है। उनके सन्तान किसी वारिस (पुत्र - पुत्री) का उस सम्पति मे कोई अधिकार नही होता है। केवल खातेदार की मृत्यु के बाद ही वारिसान / उत्तराधिकारियों के अधिकार उसकी भूमि / सम्पति में उत्पन्न होते है। वाद पत्र के अवलोकन से ही स्पष्ट है कि वादी द्वारा उक्त वाद में विवादित आराजी को पुश्तैनी भूमि बताकर अनुतोष चाहा गया है, जो मुस्लिम विधि में लागू ही नहीं होता है। अतः विवादित आराजी के मुस्लिम विधि से शासित होने एवं वाद में अनुतोष पुश्तैनी भूमि का [illegible] उक्त वाद विधि [illegible] योग्य नहीं [illegible] का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद को इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:07:25 IST
Reason: SelfAttested